


18.10.2023:-पत्रावली आज पेशी मे आई। वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गुरमीत सिंह द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। जो शामिल किया गया। वादीगण अधिवक्ता श्री गुरमीत सिंह निवेदन किया कि वादीगण एव प्रतिवादी के मध्य राजीनाम हो गया। इसलिए वादीगण उक्त वादपत्र आगे नहीं चलाना चाहता। खारिज करने के आदेश फरमावे। वादीगण अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादीगण के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये। वादीगण की पहचान वादीगण अधिवक्ता श्री गुरमीत सिंह द्वारा की गई। अतः उक्त वादपत्र वादीगण मौजूदा सूरत मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हों


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़